

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(6)न्याय./2017


जयपुर, दिनांक 15 JAN 2018

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3, सीकर की अतिरिक्त बैठक का स्थान प्रत्येक माह में 6 दिन (एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस) के लिए निम्न प्रकार निर्धारित करती है:-


क्र०सं०	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अतिरिक्त बैठक का स्थान	अवधि
1	2	3	4	5
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-3, सीकर	सीकर	लक्ष्मणगढ	प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस कुल 6 दिन प्रतिमाह

राज्यपाल के आदेश से

  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, सीकर
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, संख्या-3, सीकर
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव